

Roll No.

CD-2044**B. Com. (Part III) EXAMINATION, 2020**

(Old Course)

(Compulsory)

Paper Second

INDIRECT TAXES

Time : Three Hours

Maximum Marks : 75

Minimum Pass Marks : 25

नोट : सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Attempt all the five questions. One question from each Unit is compulsory. All questions carry equal marks.

इकाई—1

(UNIT—1)

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत पंजीयन की प्रक्रिया समझाइए।

Explain the procedure for obtaining registration under Central Excise Act, 1944.

अथवा

(Or)

रामा लिमिटेड पंखों का निर्माण करती है। जिसको एक थोक व्यापारी से 1000 पंखों का ऑर्डर प्राप्त है। इस आदेश के संबंध में उसके द्वारा निम्न व्यय चार्ज किये जाते हैं :

- (अ) प्रति पंखे हेतु मूल्य ₹ 600।
- (ब) प्रति पंखे हेतु पैकिंग व्यय ₹ 40।
- (स) व्यापारिक बट्टा ₹ 600 पर 5% की दर से, ऑर्डर लाने के लिए एजेंट को कमीशन 1%।
- (द) मार्गस्थ बीमा ₹ 1,000।
- (इ) बाह्य भाड़ा ₹ 15,000।
- (फ) विक्रय मूल्य वसूली हेतु बैंक कमीशन ₹ 400।
- (ग) ₹ 600 पर 10% विशेष छूट यदि क्रेता द्वारा निर्माता को ₹ 3 लाख अग्रिम दिये जायें। क्रेता ने अग्रिम राशि ₹ 3 लाख का भुगतान किया है।
- (ह) थोक व्यापारी ने निर्माता की ओर से पंखों के विज्ञापन पर ₹ 60,000 व्यय किये।

करयोग्य मूल्य ज्ञात कीजिए। उत्पाद शुल्क की राशि बताइए यदि उत्पाद शुल्क की दर 12.5% हो।

Rama Ltd. manufactures fans. It gets order from a wholesaler for 1000 fans. For this order the following items are charged by Rama Ltd. :

- (a) Price per fan ₹ 600.
- (b) Packing charges per fan ₹ 40.
- (c) Trade discount @ 5% on price ₹ 600 and 1% agent commission for order procuring.
- (d) Transit insurance ₹ 1,000.
- (e) Outward freight ₹ 15,000.

(A-42)

- (f) Bank charges for recovery of Sales Price is ₹ 400.
- (g) Special discount @ 10% on ₹ 600 for per fan if buyer is ready to pay ₹ 3,00,000 as in advance. Buyer had paid advance of ₹ 3,00,000.
- (h) The wholesaler incurred ₹ 60,000 on advertisement of fans on behalf of manufacturer.

Find the Assessable Value. Also find out amount of Excise duty payable if rate of duty is 12.5%.

इकाई-2

(UNIT-2)

2. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, लाइसेंस के निलम्बन तथा समर्पण सम्बन्धी प्रावधानों को समझाइए।

Explain the provisions regarding granting license, suspension and surrender of license under C. G. Excise Act.

अथवा

(Or)

सरगुजा के भण्डारगृह से सितम्बर, 2019 को निम्नलिखित मादक पदार्थ निर्गमित किये गये :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. देशी मदिरा सादी | 2950 प्रूफ लीटर |
| 2. देशी मदिरा मसालेदार | 5050 प्रूफ लीटर |
| 3. मिलिट्री संगठन को हिस्की | 2400 प्रूफ लीटर |
| 4. भाँग घोंटा की दुकान के लिए अनुज्ञप्तिधारी को भाँग | 400 किलोग्राम |
| 5. अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को वाइन (मूल्य ₹ 1,750 प्रति प्रूफ लीटर) | 8000 प्रूफ लीटर |

(A-42) P. T. O.

- | | |
|--|-----------------|
| 6. व्यापारी को भाँग उपभोक्ता के लिए | 1000 किलोग्राम |
| 7. अधिकृत मिलिट्री कैंपटीन को बीयर | 1260 बल्क लीटर |
| 8. बीयर बार को बीयर | 5000 बल्क लीटर |
| 9. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस कैंपटीन को बीयर | 28200 बल्क लीटर |
| 10. ठेकेदार को विदेशी शराब (मूल्य ₹ 1,900 प्रति केस) | 2300 प्रूफ लीटर |
- संग्रहित आबकारी शुल्क की गणना छत्तीसगढ़ आबकारी शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दरों से कीजिए।

The following intoxicants were issued from Sarguja warehouse in the month of Sept., 2019 :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Plain Country Liquor | 2950 proof litre |
| 2. Spiced Country Liquor | 5050 proof litre |
| 3. Whisky to Military Org. | 2400 proof litre |
| 4. Bhang to Licenceholder for shop of Bhang Ghonta | 400 kilogram |
| 5. Wine to a licenceholder (Rate ₹ 1,750 per Proof litre) | 8000 proof litre |
| 6. Bhang to a Trader for consumers | 1000 kilogram |
| 7. Beer to Authorized Military Canteen | 1260 bulk litre |
| 8. Beer to Beer Bar | 5000 bulk litre |
| 9. Beer to Indo-Tibet Border Police Canteen | 28200 bulk litre |
| 10. Foreign Liquor to contractors (Rate ₹ 1,900 per case) | 2300 proof litre |

You are required to compute the amount of excise duty payable under C. G. Excise Act.

(A-42)

इकाई—3

(UNIT—3)

3. 'सीमा शुल्क' का अर्थ, महत्व एवं दोष बताइये। कुछ वस्तुओं का आयात एवं निर्यात निषिद्ध क्यों किया जाता है ?

Discuss meaning, importance and demerits of 'Customs Duty'. Why is importation and exportation of certain goods prohibited ?

अथवा

(Or)

हिन्द लिमिटेड ने एक मशीन अमेरिका से आयात की जिसका मूल्य 26,000 डॉलर था। इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हैं :

- | | |
|---|---------------|
| (i) पैकिंग व्यय | 900 डॉलर |
| (ii) भारतीय बन्दरगाह तक परिवहन व्यय | 1,350 डॉलर |
| (iii) डिजाइन एवं विकास व्यय जो भारत के बाहर चुकाये गये | 4,100 डॉलर |
| (iv) भारतीय बन्दरगाह से कारखाने तक चुकाया गया भाड़ा | ₹ 22,500 |
| (v) भारत में भुगतान किया बीमा प्रीमियम | ₹ 17,500 |
| (vi) कारखाने में मशीन लगाने के व्यय | ₹ 9,500 |
| (vii) अमेरिकन कम्पनी के भारत में स्थित अभिकर्ता को विक्रय मूल्य पर 5% कमीशन रुपयों में भुगतान किया गया। | |
| (viii) बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दर | 1 डॉलर = ₹ 60 |

(A-42) P. T. O.

- (ix) रिजर्व बैंक द्वारा घोषित विनिमय दर 1 डॉलर = ₹ 60.50
- (x) मूल सीमा शुल्क दर 10%
- (xi) इंटीग्रेटेड टैक्स सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 (7) के अधीन दर 12%

कर-निर्धारण मूल्य एवं देय सीमा शुल्क ज्ञात कीजिए।

Hind Ltd. imported a machine from America at price of 26,000 dollars. Following information are available :

- (i) Packing charges 900 dollars
- (ii) Transportation charges to Indian Port 1,350 dollars
- (iii) Design and Development Expenses incurred outside India 4,100 dollars
- (iv) Transportation charges from Indian port of factory ₹ 22,500
- (v) Insurance premium paid in India ₹ 17,500
- (vi) Installation charges of machine in the factory ₹ 9,500
- (vii) 5% Commission on selling price to Agent in Indian Rupees in India of American Company.
- (viii) Exchange Rate notified by the Board 1 dollar = ₹ 60
- (ix) Exchange Rate declared by Reserve Bank 1 dollar = ₹ 60.50

- (x) Rate of Basic Custom Duty 10%
- (xi) Rate of Integrated Tax U/S 3(7) of C. T. A. 1975 is 12%

Find out the customs duty payable and assessable value.

इकाई—4

(UNIT—4)

4. कब माल का क्रय-विक्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान एवं राज्य के बाहर माना जाता है ? व्याख्या कीजिए।

When does a sale or purchase of goods take place in the course of Inter-state sale and outside the state ? Discuss.

अथवा

(Or)

एक व्यापारी की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए विक्रय (वैट सहित) निम्न है :

	₹
1. अनाज, दालें, चीनी एवं नमक (राज्य में कर-मुक्त)	2,00,000
2. अंश एवं प्रतिभूतियाँ	50,000
3. राज्य में अन्य माल का विक्रय	4,00,000
4. भारत से निर्यात	3,00,000
5. दूसरे राज्य से माल खरीदकर वहीं बेचा	60,000
6. अन्तर्राज्यीय विक्रय जिस पर कर की दर 8% है	2,16,000

[8]

CD-2044

- | | |
|---|----------|
| 7. राज्य सरकार को अन्तर्राज्यीय विक्रय (राज्य में कर 2% है) | 51,000 |
| 8. फॉर्म C पर पंजीकृत व्यापारी को अन्तर्राज्यीय विक्रय (राज्य में कर की दर 2% है) | 1,02,000 |
| 9. अन्य राज्य में स्थित शाखा को फॉर्म F पर माल भेजा | 2,00,000 |
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत सकल विक्रय एवं कर-योग्य आवर्त का निर्धारण कीजिए।

The sales of dealer for the year ending 31st March, 2018 (including VAT) are as under :

₹

- | | |
|--|----------|
| 1. Cereals, Pulses, Sugar and Salt (exempt in the state) | 2,00,000 |
| 2. Shares and Securities | 50,000 |
| 3. Other goods sold in the state | 4,00,000 |
| 4. Exports from India | 3,00,000 |
| 5. Goods purchased and sold in other state | 60,000 |
| 6. Inter-state sale on which rate of tax is 8% | 2,16,000 |
| 7. Inter-state sale to a State Government (State Tax Rate 2%) | 51,000 |
| 8. Inter-state Sale to a registered dealer on Form C (State Tax Rate 2%) | 1,02,000 |

(A-42)

[9]

CD-2044

9. Goods sent to Branch located in other state on Form F 2,00,000

Determine gross sales and taxable turnover under the C. S. T. Act.

इकाई—5

(UNIT—5)

5. व्यापारियों के पंजीकरण की क्या विधि है ? पंजीकरण से संबंधित छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के प्रावधान समझाइए।

What is the procedure for registration of dealers ? Explain the provisions for registration under the C. G. Commercial Tax Act.

अथवा

(Or)

रचना ट्रेडर्स, दन्तेवाड़ा ने वर्ष में निम्नांकित विक्रय किया। उसकी छ. ग. वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत सकल विक्रय राशि, शुद्ध विक्रय राशि एवं करयोग्य विक्रय राशि ज्ञात कीजिए :

₹

- | | |
|--|----------|
| 1. बिजली का सामान (छ. ग. के पंजीकृत व्यापारियों से खरीदकर) | 1,00,000 |
| 2. बिजली के पंखे (मुम्बई से खरीदकर) | 2,00,000 |
| 3. पशुशक्ति से चलित कृषि उपकरण (अहमदाबाद से खरीदकर) | 1,35,000 |
| 4. दवाइयाँ (दिल्ली से खरीदकर) | 1,65,000 |

(A-42) P. T. O.

[10]

CD-2044

5. बिस्कुट एवं चॉकलेट (मुम्बई से)	60,000
6. ऊन (अपंजीकृत व्यापारियों से)	50,000
7. वनस्पति घी	1,20,000
8. शुद्ध घी	40,000

दवाइयाँ ₹ 8,000 की चार माह के अंदर वापस हुई। कृषि उपकरण एवं बिजली के पंखों में क्रमशः ₹ 2,000 और ₹ 10,000 किराये के अलग से वसूल किये जो विक्रय वाली रकम में सम्मिलित हैं। दवाइयों में ₹ 15,000 की बिक्री दिल्ली में की गई।

Rachna Traders, Dantewara made the following sales. Find out his gross sales, net sales and taxable sales under C. G. C. Tax Act :¹

1. Electric goods (Purchased from C. G. Regd. dealers)	1,00,000
2. Electric fans (Purchased from Mumbai)	2,00,000
3. Agricultural equipments driven from Animal power (purchased from Ahmedabad)	1,35,000
4. Medicines (Purchased from Delhi)	1,65,000
5. Biscuits and Chocolates (from Mumbai)	60,000
6. Wool from unregistered dealers	50,000

(A-42)

[11]

CD-2044

7. Vegetable Ghee	1,20,000
8. Pure Ghee	40,000

Medicines were returned ₹ 8,000 within 4 months. For Agricultural equipments and Electric fans ₹ 2,000 and ₹ 10,000 were separately charged for transport charges, which are included in the sales figures. ₹ 15,000 of medicines were sold in Delhi.

CD-2044

1,100

(A-42)